न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/09/2024	2024/16	01–03–2024	26–06–2024

1–रणजीत कुमार पुत्र श्री बचन लाल जाति जाट निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान।

–अपीलान्ट

बनाम

1–उप तहसीलदार, बहादुरपुर तहसील अलवर जिला अलवर राज0। – असल रेस्पाडेन्ट

2–सेवा देवी बेवा बचन लाल जाति जाट,
3–प्रदीप कुमार पुत्र बचन लाल जाति जाट,
4–राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बचन लाल जाति जाट,
5–सुरेश पुत्री बचन लाल जाति जाट,
6–नीलम पुत्री बचन लाल जाति जाट, निवासीयान ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर।

–तरतीबी रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्व उप0 तहसीलदार बहादुरपुर इंतकाल सं0 777 दिनांक 22.11.2010 ग्राम किथुर ।

उपस्थितः–

1.श्री दलेर सिंह। –वकील अपीलान्ट
2.राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पोडेंटान

::– निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार बहादुरपुर के आदेश दिनांक 22.11.2010 नामान्तकरण संख्या 777 वाके ग्राम किथुर तहसील अलवर जिला अलवर स्वीकार किये जाने है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेण्ड संख्या 02 ला0 06 के पति/पिता श्री बचल लाल का स्वर्गवास हो गया था। जिसका इन्तकाल विरासत संख्या 777 उसके वारिसान के नाम पर खोला गया था। जिसमें परिवार का सजरा भी दर्ज किया गया है। मिन अपीलांट का सही नाम रणजीत कुमार है, रणजीत कुमार के स्थान अजीत कुमार दर्ज कर दिया एवं बाद रिपोर्ट पटवारी व आईएलआर साहब उप तहसीलदार, बहादुरपुर ने उक्त इन्तकाल दिनांक 22.11.2010 को मिन अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेण्ट को बिना किसी प्रकार का नोटिस दिए हुऐ बाला–बाला एकतरफा में स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित कर दिया जो मिन अपीलांट के सही नाम रणजीत कुमार के नाम से स्वीकृत नही किया गया बल्कि सजरे के अनुसार अजीत कुमार के नाम से स्वीकृत किया गया है। मिन अपीलांट को कोई जानकारी नही हो सकी और मिन अपीलांट नेकनियति व सद्भावना से इस विश्वास में रहा कि पिताजी का इन्तकाल में मिन अपीलान्ट का सही नाम रणजीत कुमार ही दर्ज किया गया होगा, किन्तु हाल ही में मुझे केडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर इस बात की जानकारी दिनांक 11.12.2023 को हुई कि उक्त इन्तकाल में मिन अपीलान्ट का नाम गलत तौर पर अजीत कुमार दर्ज किया गया है। जिस पर दिनांक 11.12.2023 को ही नकल प्राप्त करने का प्रार्थना–पत्र होने पर आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश है। जो उपरोक्त तिथि से अंदर मियाद पेश है एवं दिनांक 22.11.2010 से दिनांक 11.12.2023 तक का समय जानकारी के अभाव में व उसके बाद से आज तक का समय नकल प्राप्त करने व कानूनी सलाह आदि में व्यतीत होने के कारण धारा 05

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

मियाद अधिनियम के तहत कण्डोन फरमए जाने योग्य है। जिसके लिए अलग से प्रार्थना–पत्र पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व मृतक श्री बचन लाल के वारिसान के बारे में कोई जांच नही की और ना ही वारिसान को कोई नोटिस दिया गया बल्कि उप तहसीलदार, बहादुरपुर ने महज सजरे के आधार पर सजरे में दर्ज नॉमित व्यक्तियों के नाम इन्तकाल तस्दीक किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि मिन अपीलान्ट का सही नाम रणजीत कुमार है एवं मिन अपीलान्ट के सभी शैक्षणिक दस्तावेजात व पेन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजात में सही नाम रणजीत कुमार है। इसलिए उक्त अपील में मिन अपीलान्ट का संशोधित करते हुये अजीत कुमार के स्थान पर रणजीत कुमार दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। तरतीबी रेस्पोडेण्ड संख्या 02 ला0 06 जो कि मृतक श्री बचन लाल के जायज व कानूनी वारिसान है, को भी मिन अपीलान्ट का नाम दुरूस्त करते हुये सही नाम रणजीत कुमार दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति व ऐतराज नही है। शेष उजात बवक्त बहस जुबानी अर्ज किये जावेगे। अपीला अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल संख्या 777 वाके ग्राम किथुर तहसील अलवर में मिन अपीलान्ट का नाम जो गलत तौर पर अजीत कुमार दर्ज किया गया है, को संशोधित करते हुये मिन अपीलान्ट का सही नाम रणजीत कुमार दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

राजकीय परोकार द्वारा अपील बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन व मनन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2010 के विरूद्व दिनांक 07.12.2024 को पेश की गयी है। जो करीब 14 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। फिर भी माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलान्ट के आधार कार्ड, अंकतालिका की फोटोप्रति पेश की गयी है, जिसमें अपीलान्ट का नाम रणजीत कुमार के स्थान पर अजीत कुमार, अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील अपीलान्ट की बहस, अपील में वर्णित कथनों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादुरपुर तहसील अलवर का आदेश दिनांक 22.11.2010 इंतकाल संख्या 777 वाके ग्राम किथुर उप तहसील बहादुरपुर निरस्त किया जाता है। तथा अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहादुरपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है, कि अपीलान्ट के दस्तावेजात का अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल रिकॉर्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)